भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1537

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

अवमानना कार्यवाहियां

1537. श्री एंटो एन्टोनी :

डॉ. अमर सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को कार्टूनिस्टों, कॉमेडियनों और उसने कलाकारों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की सहमति देने के बारे में भारत के अटॉर्नी जनरल से कोई सूचना प्राप्त हुई है या उन्हें कोई सूचना जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय ने भारत में न्यायालयों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए सहमति देने पर कोई सलाह या दिशा-निर्देश दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 2005 से अब तक भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा उच्चतम न्यायालय में अवमानना कार्यवाही के लिए कुल कितने मामलों में सहमति दी गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : अवमान कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए सहमति प्रदान करने की शक्ति, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अधीन भारत के महान्यायवादी को प्रदत्त की गई कानूनी शक्ति है । यह ऐसी शक्ति है, जिसका प्रयोग महान्यायवादी द्वारा अन्नयत: उसके सर्वोत्तम विवेकानुसार किया जाना है, और न कि ऐसी शक्ति है, जो भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का विषय हो सकती है । अत:,

महान्यायवादी द्वारा सरकार को न तो कोई संसूचना भेजी गई है, न ही सरकार ने दांडिक अवमान कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए सहमति प्रदान करने के संबंध में महान्यायवादी को कोई संसूचना जारी की है ।

(ग) और (घ) : भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित कारणों के लिए, सरकार द्वारा, ऐसी कोई एडवाइजरी या मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं दिए जा सकते हैं ।

(ङ) : वर्ष 2005 से जून, 2017 तक पूर्व महान्यायवादी द्वारा ऐसी अवमान कार्यवाहियों, जिनको सहमति दी गई थी, की कुल संख्या के बारे में कोई जानकारी या विशिष्टियां उपलब्ध नहीं है । श्री के.के. वेणुगोपाल, को 1 जुलाई, 2017 को भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था । वर्ष 2017, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के दौरान, उन्होंने कोई सहमति प्रदान नहीं की थी ।

वर्ष 2020 में, उन्होंने वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 41 अनुरोधों में से केवल निम्नलिखित मामलों के लिए, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अधीन सहमति प्रदान की है :

(i) श्री कुनाल कामरा द्वारा किए गए ट्वीट तारीख 11.11.2020 के संबंध में, श्री अभ्युद्य मिश्रा, श्री अमे अभय सुसीकर, श्री प्रतीक बसाले, श्री स्कंद बाजपेयी, श्री अभिषेक शरद रश्कर, सुश्री नितिका दुहान, श्री श्रीरंग कटनेश्वरकर, और श्री सतेन्द्र विनायक मूले को 12.11.2020 को सहमति प्रदान की गई है ।

(ii) श्री कुनाल कामरा द्वारा किए गए ट्वीट तारीख 18.11.2020 के संबंध में, श्री अभ्युद्य मिश्रा और श्री स्कंद बाजपेयी को 18.11.2020 को सहमति प्रदान की गई है ।

(iii) सुश्री रचिता तनेजा द्वारा किए गए ट्वीट तारीख 11.11.2020 के संबंध में, श्री आदित्य कश्यप को 01.12.2020 को सहमति प्रदान की गई है ।

.....